(ख) क्या कभी किसी मंत्रालय ने समाचार एजेंसियों की सेवाएं प्राप्त करने की उपयोगिता का मूल्यांकन किया है ;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ; और

(घ) यदि नहीं, तो मूल्यांकन न करने के क्या कारण हैं और वर्तमान प्रबन्धों में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) अब तक सात मंत्रालयों से सूचना मिली है । सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त दो अन्य मंत्रालय—(1) वैदेशिक कार्य मंत्रालय तथा (2) प्रतिरक्षा मंत्रालय—समाचार एजेंसियों की सेवायें प्राप्त कर रहे हैं । इन मंत्रालयों ने पिछले तीन वर्षों में जो खर्च किया उसका एक विवरण सदन की मेज पर रखा जा रहा है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस० टी–705/67] बाकी मंत्रालयों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) से (घ). सूचना और प्रसारण मंत्रालय इन समाचार एजेंसियों की सेवाओं की उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिये नीचे दी गई बातों पर निर्भर करता है :—

1. स्वीकार्यता
2. विश्वसनीयता
3. स्पीड और
4. फैलाव

इन परीक्षणों को ध्यान में रखते हुए, ये सेवायें लाभदायक सिद्ध हुई हैं । अन्य मंत्रालयों ने इन सेवाओं का मूल्यांकन करने के लिये कौन से परीक्षण अपनाये हैं, इसके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है ।

यह सच है कि प्रेस कमीशन ने 1954 में यह उल्लेख किया था कि कोई समाचार एजेंसी चाहे कितनी भी वस्तुनिष्ठ क्यों न हो, एकाधिकार के कारण कुछ त्रुटियां पैदा हो सकती हैं । ये कमियां प्रतियोगी सेवा द्वारा, जो सभी उपभोक्ताओं को स्वतन्त्र रूप से उपलब्ध हों, दूर की जा सकती हैं । इन बातों को ध्यान में रखते हुए, आकाशवाणी तथा इस मंत्रालय के अन्य विभागों के लिये तीन और समाचार-एजेंसियों की, जिनके नाम हैं—समाचार भारती, हिन्दुस्तान समाचार तथा इंडिया न्यूज एण्ड फीचर अलायन्स, सेवायें प्राप्त करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

संसद् सदस्यों के भाषण

*584. श्री सरजू पाण्डेय :
श्री इसहाक सामभली :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी से लोक सभा में सदस्यों द्वारा दिये गये भाषणों का प्रसारण किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ऐसे भाषणों के प्रसारण के बारे में कोई निश्चित नीति नहीं है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 31 मई, 1967 को रेलवे बजट पर चर्चा के समय जिन सदस्यों ने भाषण दिये थे शाम को 8–15 बजे के समाचार प्रसारण में उन सभी नामों का उल्लेख नहीं किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) से (घ). संसद् सदस्यों द्वारा दिये गये भाषण प्रसारित नहीं किए

जाते । बहस के दौरान कही गई मुख्य बातें ही समाचार बुलेटिनों या "संसद समीक्षा" में शामिल की जाती हैं । यह सही है कि 31 मई, 1967 को रेलवे बजट पर हुई बहस के दौरान जिन सदस्यों ने भाषण दिये थे, उन सब के नामों का [उल्लेख 8.15 बजे के प्रसारण में नहीं किया गया था । जसा कि पहले बताया जा चुका है बहस के दौरान कही गई मुख्य बातें ही समाचार बुलेटिनों या संसद समीक्षा में शामिल की जाती हैं । आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए जाने वाला लम्बे में लम्बा समाचार बुलेटिन 15 मिनट की अवधि का होता है । इसमे समस्त संसार के समाचार दिए जाते हैं, जिनमें संसद में जो कुछ होता है वह भी शामिल है । ससद समीक्षा 10 मिनट की अवधि की होती है । इन समीक्षाओं में, संसदीय बहसों के अतिरिक्त संसद में हुए हास्य-विनोद और उसके सामान्य वातावरण का भी उल्लेख किया जाता है । अत: संसद में जो कुछ होता है, उसके बारे में प्रसारण सीमित होता है ।

Visit of Underground Naga Representatives to London

*585. **Shri Atam Das:**
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Yajna Datt Sharma:
Shri Jagannath Rao Joshi:
Shri D. C. Sharma:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that two underground Naga leaders left for London to have a talk with Mr. Phizo about the settlement of the Naga problem;

(b) if so, whether it is also a fact that before leaving for London, they had talks with Officers of the External Affairs Ministry in New Delhi;

(c) if so, the text of such talks; and

(d) the reasons for granting them visas and foreign exchange?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) Two representatives of the Naga Underground have proceeded to Lbndon for the purpose noted in the question.

(b) No, Sir. No talks as such were held although discussion concerning arrangements for the trip had taken place.

(c) Does not arise.

(d) The reason is stated in part (a) of the reply.

Issue of Diplomatic Passports

*586. **Shri C. C. Desai:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the categories of persons to whom diplomatic passports are issued by the Government of India;

(b) whether the issue of diplomatic passports is regulated by rules and regulations or is it purely discretionary with the Minister or the Ministry, and

(c) whether a statement of persons to whom diplomatic passports have been issued but who are not officers of the External Affairs Ministry will be laid on the Table?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) Diplomatic Passports are issued to:

(i) Officers of the Indian Foreign Service, their wives and dependent children when posted abroad;

(ii) High dignitaries and others having diplomatic status either because of the nature of their foreign mission or because of the position they